भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4078

सोमवार, 28 मार्च, 2022/7 चैत्र, 1944 (शक)

महिला श्रम बल भागीदारी

4078. डॉ. मोहम्मद जावेदः

श्रीमती लॉकेट चटर्जीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2014 से आज की तारीख तक वार्षिक महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) कितनी है;

(ख) क्या मौजूदा श्रम और रोजगार नीतियों में संशोधन किया जाएगा जैसा कि केंद्रीय बजट 2022-23 के भाषण के दौरान वित्त मंत्री द्वारा प्राथमिकता के अनुसार समावेशी विकास को गति प्रदान करने के लिए कहा गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की मंशा महिला श्रम बल की मांग को बढ़ावा देन के लिए नीति बनाने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार न्यू ईंडिया @75 रिपोर्ट 2019 हेतु नीति आयोग की रणनीति के अनुसार 2022 तक 30% महिला एलएफपीआर के लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रोजगार क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिससे भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में सहायता मिलेगी?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): 2011-12 से 2016-17 के दौरान श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षणों तथा 2017-18 से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की अनुमानित वार्षिक महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) उपलब्ध सीमा तक नीचे दी गई हैः

महिला श्रम बल भागीदारी दर (% में)	
सर्वेक्षण अवधि	**अखिल-भारत**
श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण	
2013-14	31.1
2015-16	27.4
2016-17	26.9
पीएलएफएस	
2017-18	23.3
2018-19	24.5
2019-20	30.0

पीएलएफएस और श्रम ब्यूरो-दोनों सर्वेक्षणों के परिणाम अलग-अलग नमूना पद्धतियों एवं कवरेज के कारण तुलनीय नहीं हैं। पीएलएफएस श्रम बल के मौसमीपन को कवर करता है क्योंकि यह जुलाई से जून (अर्थात् पूर्ण वर्ष) की अवधि के दौरान आयोजित किया जाता है जबकि श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में फील्ड कार्य 7 से 9 माह में विविध है और इसलिए, पूर्ण मौसमीपन को शामिल नहीं किया गया।

सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों के संगत प्रावधानों को सरलीकृत करके, समामेलित करके एवं युक्तियुक्त बनाकर चार श्रम संहिताओं नामतः मजदूरी पर संहिता, 2019, औद्योगिक संबध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यकारी दशाएं संहिता, 2020 को अधिसूचित किया है। श्रम कानूनों का संहिताकरण रोजगार चाहने वालों, कामगारों एवं नियोक्ताओं की आवश्यकताओं को सुसंगत बनाने हेतु एक नीतिगत ढांचा प्रदान करता है। श्रम संहिताएं, अन्य बातों के साथ-साथ, परिभाषाओं एवं प्राधिकारियों की बहुलता को कम करती हैं एवं श्रम कानूनों के प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी के प्रयोग एवं कार्यान्वयन को सुकर बनाती हैं तथा प्रवर्तन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व लाती हैं जिससे और अधिक उद्यमों की स्थापना का संवर्धन होगा जिससे देश में रोजगार अवसरों का सृजन व उत्प्रेरण होगा। यह श्रम बाजार की कठोरता को घटाकर उद्योगों की स्थापना का संवर्धन करेगा तथा परेशानी रहित अनुपालन को सुकर बनाएगा, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को महसूस करते हुए मार्ग प्रशस्त करेगा।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करना आदि शामिल हैं।

खुली खदान सहित भूमि की ऊपरी खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान की गई है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को अब मजदूरी संहिता, 2019 में शामिल कर लिया गया है जो व्यवस्था करता है कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

*****